भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-231

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

परिवर्तन योजना

***231. श्री बी. विनोद कुमारः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के मूल्य का संरक्षण करने तथा दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता कोड, 2016 के तहत उनके औने-पौने दाम पर बिक्री को रोकने हेतु 'परिवर्तन' योजना आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह योजना संकटग्रस्त आस्ति राहत कार्यक्रम (टीएआरपी) जिसे 2008 के वित्तीय संकट के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका में आरंभ किया गया था, द्वारा प्रेरित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में अशोध्य ऋणों में बढ़ोत्तरी पर रोक लगाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने योजना के भाग के रूप में लगभग कुल 1.8 ट्रिलियन रू. ऋण वाली परियोजनाओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन संकटग्रस्त परियोजनाओं के समक्ष धनराशि, विद्युत खरीद करारों और ईंधन की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"परिवर्तन योजना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 231 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ङ) : परिवर्तन (पावर एसेट्स रिवाइवल फोकस वेयरहाउसिंग एंड रिवाइटलाइजेशन) स्कीम आरईसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित की गई है। यह योजना संकटग्रस्त आस्ति राहत कार्यक्रम (टीएआरपी) से प्रेरित नहीं है। परिवर्तन स्कीम सरकार के पास विचाराधीन है।

इस बीच, सरकार ने देश में संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मामलों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा विद्युत क्षेत्र में प्रमुख ऋणजोखिम रखने वाले ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों की एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

यह समिति विभिन्न मुद्दों को उनका समाधान करने और ईंधन आबंटन नीति, विनियामक फ्रेमवर्क, विद्युत की बिक्री को सुगम बनाने के तंत्र में अपेक्षित परिवर्तन करने, समय से भुगतान सुनिश्चित करने, भुगतान सुरक्षा तंत्र, प्रावधान करने वाले मानदंडों/दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी (एआरसी) विनियमों में अपेक्षित परिवर्तन करने तथा संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु प्रस्तावित किसी अन्य उपायों को शामिल करते हुए निवेश को अधिकतम कुशल बनाने की दृष्टि से जांच करेगी ताकि ऐसे निवेशों को एनपीए बनने से रोका जा सके।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-237

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

नई ऊर्जा नीति

***237. श्री भोला सिंहः**

श्री डी.एस. राठौड़ः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के लिए कोई नई ऊर्जा नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2040 तक ऊर्जा की मांग के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस बढ़ती मांग को किस तरह पूरा करने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

"नई ऊर्जा नीति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 237 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ङ) : (i) नीति आयोग राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) तैयार कर रहा है।

(ii) पूर्ववर्ती एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) की उपलब्धियों के आधार पर एनईपी तैयार की जाती है तथा विश्व ऊर्जा में उभरते हुए विकास जैसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षित हस्तक्षेपों की सुपरिभाषित भूमिका के अनुरूप नया एजेंडा निर्धारित करती है। एनईपी ऊर्जा दक्षता, सब्सिडी एवं कर संरचना, ऊर्जा अभिशासन, अनुसंधान एवं विकास तथा वायु गुणवत्ता सरोकारों का भी समाधान करती है। एनईपी के 4 मुख्य उद्देश्य हैं, नामत: आनुपातिक मूल्यों पर पहुँच, उन्नत सुरक्षा एवं स्वतंत्रता, अधिक धारणीयता एवं आर्थिक विकास और बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को दक्षतापूर्वक पूरा करके भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्द्धात्मक को बढ़ाना है।

(iii) नीति आयोग द्वारा तैयार एनईपी का प्रारूप अक्तूबर, 2017 में अंतरमंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया था। मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों के साथ-साथ नीति आयोग में आगे विचार-विमर्श के आधार पर एनईपी का संशोधित प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 16 जून, 2018 को पुन:परिचालित किया गया है। संशोधित प्रारूप पर टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् एनईपी का प्रारूप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) अक्तूबर, 2017 में परिचालित एनईपी के प्रारूप में वर्ष 2040 तक ऊर्जा मांग का आंकलन निहित है। तत्पश्चात्, यह महसूस किया गया था कि वर्ष 2040 तक का दीर्घावधि आंकलन से वर्तमान में अस्थिर और अप्रत्याशित ऊर्जा अर्थव्यवस्था में अत्यधिक अनिश्चितताएं होंगी जो नीति बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होंगी। तदनुसार, एनईपी की समय-सीमा को वर्ष 2030 तक प्रतिबंधित कर दी गई हो जो इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी) के साथ सिंक्रोनाइज भी किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2030 तक ऊर्जा मांग का विस्तृत आंकलन **अनुबंध** में दिया गया है।

(v) प्रारूप एनईपी के अनुसार, सरकार बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को निम्नलिखित तरीके से पूरा करने का प्रस्ताव करती है:

(क) उपयुक्त पॉलिसी फ्रेमवर्क के सक्षमीकरण द्वारा घरेलू उत्पादन/आपूर्ति को बढ़ाना।
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अधिकतम संदोहन।
(ग) मांग में कमी करने और बेहतर ऊर्जा संरक्षण के लिए वर्धित दक्षता उपाय।
(घ) ऊर्जा के वैकल्पिक घरेलू स्रोतों को बढ़ाना।

****

अनुबंध

"नई ऊर्जा नीति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित अनुबंध।

****

विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा मांग

(बिलियन यूनिट में)

क्षेत्र	**2017**	**2030**	
	अनुमान	**सामान्य परिदृश्य के रूप में कारोबार**	**महत्वाकांक्षी परिदृश्य**
भवन	358	992	798
उद्योग	3,113	5844	5329
परिवहन	1252	2621	2347
पम्प और ट्रैक्टर	317	590	504
टेलीकॉम	105	174	153
कुकिंग	922	548	472
कुल	**6,067**	**10,769**	**9,603**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2540

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्रक में गिरावट की प्रवृत्ति

2540. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत क्षेत्रक में वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस महत्वूपर्ण क्षेत्रक में गिरावट की प्रवृत्ति के लिए स्थिति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : पिछले 3 वर्षों के दौरान विद्युत के उत्पादन में समग्र वृद्धि लगभग **5.6%** रही है। विगत **3** वर्षों के दौरान उत्पादन और इसके वृद्धि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) : विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य राज्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारत सरकार उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) आदि जैसी योजनाओं के जरिए राज्यों की सहायता कर रही है।

(ii) सरकार प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के जरिए गाँव के विद्युतीकरण तथा सभी गैर-विद्युतीकृत आवासों के लिए विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराने में भी सहायता कर रही है।

(iii) विभिन्न योजनाओं जैसे "सभी उपभोक्ताओं के लिए 24X7", "सौभाग्य", "मेक इन इंडिया" आदि से विद्युत की मांग बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी।

(iv) दीप (डिस्कवरी ऑफ एफिसिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) पोर्टल विकसित किया गया है जो डिस्कॉमों द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक विद्युत के प्रापण के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स नीलामी पोर्टल है। दीर्घकालीन आधार पर डिस्कॉमों द्वारा विद्युत के प्रापण की सुविधा के लिए मानक बोली दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2540 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन और इसमें वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा

वर्ष	उत्पादन (एमयू)			
	परंपरागत स्रोत	नवीकरणीय स्रोत	कुल	% वृद्धि
2014-15	1048673.00	61719.25	1110392.25	
2015-16	1107822.00	65780.85	1173602.85	5.69
2016-17	1160141.00	81868.69	1242009.69	5.83
2017-18	1206306.00	101839.48	1308145.48	5.32

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2565

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

दामोदर घाटी निगम की वित्तीय स्थिति

2565. डॉ. उदित राजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) में मुख्य रूप से इसके प्रबंधन के उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसकी गंभीर वित्तीय स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा डीवीसी को वित्तीय पतन से बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आरंभ की गई जांच का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विगत पांच वर्षों के लिए डीवीसी के वित्तीय परिणामों का सार नीचे दिया गया हैः

विवरण (करोड़ रुपए)	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 (गैर-लेखापरीक्षित)**
कुल आय	12254	11573	13096	15553	16118
कुल व्यय	13249	12906	14240	16460	16965
निवल लाभ (हानि)	**(995)**	**(1334)**	**(1143)**	**(907)**	**(847)**

विगत पांच वर्षों में डीवीसी लाभ अर्जित नहीं कर सका क्योंकि उत्पादन और बिक्री "लाभ-अलाभ" स्तर से कम थी और इसलिए, विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित प्रभारों की पूरी वसूली नहीं कर सका। तथापि, वित्तीय वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही में, डीवीसी ने 15 तिमाहियों के बाद 19 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही का निष्पादन भी पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है।

मंत्रालय में भ्रष्टाचार/वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निपटान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2566

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

आर-एपीडीआरपी

2566. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संघ सरकार द्वारा राज्यों के साथ संयोजन में पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल शहरों और नगरों की संख्या कितनी है;

(ख) आईटी युक्त विद्युत वितरण प्रणाली वाले नगरों/शहरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों के साथ संयोजन में जनवरी, 2019 तक शहरी क्षेत्रों में अपने विद्युत वितरण नेटवर्क में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तैयार की गई योजना क्या है; और

(घ) आईटी युक्त/विद्युत वितरण के बाद कुल कितनी बचत होने की संभावना है और इसे कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत 1405 नगर शामिल हैं। 30.07.2018 की स्थिति के अनुसार, 1405 नगरों में से 1376 नगर राज्यों द्वारा आईटी सक्षम घोषित किए गए हैं।

(ग) और (घ) : राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृति की तारीख से 30 माह के भीतर पूरा करने के लिए 1931 नगरों की नई आईटी सक्षमीकरण परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। राज्य/डिस्कॉम एटीएंडसी हानियों को 15 प्रतिशत से नीचे करने के लिए सहमत हो गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2567

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

बांधों के निर्माण के कारण व्यक्तियों का विस्थापन

2567. डॉ. रमेश पोखरियाल "निशंक":

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न भागों में भूमि आबंटित की गई है;

(ख) भविष्य में विस्थापित व्यक्तियों को कठिनाइयों से बचाने के लिए सरकार की विशिष्ट नीति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा टेहरी बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए विभिन्न व्यक्तियों जिन्हें अब तक कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है, को राहत प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में विस्थापित व्यक्तियों को दिए जाने वाले लाभों के संबंध में कोई स्पष्ट निदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : बांध के निर्माण के कारण विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) योजनाएं उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से संबंधित राज्य सरकारों के जरिए अनुमोदित और कार्यान्वित की जाती हैं। जहां तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संबंध है, बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित परिवारों/व्यक्तियों का संबंधित विकासकर्ताओं द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया गया है अथवा नकद मुआवजा उपलब्ध कराया गया है।

(ख) : सरकार ने एक राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 जारी की है और भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार (एलएआरआर) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया है जिसके आधार पर परियोजना विशिष्ट आरएंडआर योजना राज्य सरकार के अनुमोदन से परियोजना प्राधिकारी द्वारा बनाई जाती है।

(ग) : टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना (एचपीपी) के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार किया गया था। यह योजना टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के जरिए उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) द्वारा कार्यान्वित की गई थी। अनुमोदित योजना के अनुसार सभी पात्र परिवारों को उनके विस्थापित होने से पूर्व उत्तराखंड सरकार द्वारा पूरे पुनर्वास लाभ दिए गए थे। विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित कुछ मामलों को छोड़कर जून, 2015 तक राज्य सरकार द्वारा टिहरी बांध एवं एचईपी का पुनर्वास कार्य पूरा हो गया है।

(घ) और (ङ) : एनआरआरपी, 2007 तथा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार (एलएआरआर) अधिनियम, 2013 बांध तथा जल विद्युत योजनाओं के निर्माण के कारण विस्थापित हुए सभी व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना को अधिदेशित करता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2572

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक

2572. एडवोकेट जोएस जॉर्जः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अब हमारा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक कारक जैसे औद्योगिक विस्तार और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय विद्युत मांग बढ़ाने वाले मुख्य कारक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह प्रवृति आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) 2017 की रिपोर्ट 'की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिक्स' के अनुसार भारत, चीन और यूएसए के बाद विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है। (आईईए) रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (च) : देश में विद्युत मांग की वृद्धि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - 'सौभाग्य' के अंतर्गत औद्योगिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और विद्युत उपभोक्ताओं में वृद्धि जैसे कई कारकों के कारण होती है।

देश की विद्युत मांग भविष्य में बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2017-18 के दौरान अखिल भारत आधार पर वैद्युत ऊर्जा मांग (ईईआर) 1213 बिलियन यूनिट (बीयू) थी जो 2016-17 के दौरान 1143 बीयू की ईईआर से 6.16% अधिक है।

19वें वैद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार अखिल भारत आधार पर वैद्युत ऊर्जा मांग वर्ष 2021-22 और 2026-27 में क्रमशः 1,566 बीयू और 2,047 बीयू तक बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार, ईईआर की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान 6.18% और 2021-22 से 2026-27 की अवधि के दौरान 5.51% होने का अनुमान है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2572 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

क्रम सं.	**उत्पादक**	**टीडब्ल्यूएच**	**विश्व का कुल %**
1.	चीन जनवादी गणराज्य	5844	24.1
2.	संयुक्त राज्य	4297	17.7
3.	भारत	1383	5.7
4.	रूस फेडरेशन	1066	4.4
5.	जापान	1035	4.3
6.	कनाडा	671	2.8
7.	जर्मनी	641	2.6
8.	ब्राजील	582	2.4
9.	फ्रांस	563	2.3
10.	कोरिया	549	2.3
11.	रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड	7624	31.4
12.	**विश्व**	**24255**	**100.0**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2573

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

देश में डीडीयूजीजेवाई का मूल्यांकन

2573. श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपाराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की कार्यनिष्पादनता का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर गुजरात सहित राज्य-वार विद्युतीकृत और विद्युत रहित गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या शेष गांवों को विद्युतीकृत करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : पूरे देश में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के निष्पादन की विद्युत मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, राज्यों द्वारा 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव सूचित किए गए थे। तत्पश्चात, राज्यों द्वारा 1227 अतिरिक्त गांव गैर-विद्युतीकृत सूचित किए गए थे। 1305 गांव गैर-आवासित/स्थायी आरक्षित चारागाह पाए गए थे। इस प्रकार, 18,374 गांव विद्युतीकृत किए गए थे और इनका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	**विद्युतीकृत गांव**
2015-16	7,108
2016-17	6,015
2017-18	3,736
2018-19 (28.04.2018)	1,515
कुल	**18,374**

गुजरात में किसी भी गांव के गैर-विद्युतीकृत होने की सूचना नहीं दी गई थी। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संपूर्ण देश के सभी आवासित जनगणना गांव 28.04.2018 तक विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2573 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	01.04.2015 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा सूचित किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	तत्पश्चात राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार विद्युतीकृत गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	कुल गैर-विद्युतीकृत गांव	गैर-आवासित/ स्थायी आरक्षित चारागाह पाए गए गांव	विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5 = (3)+(4)**	**6**	**7 = (5)-(6)**
1	अरुणाचल प्रदेश	1578	77	1655	172	1483
2	असम	2892		2892	160	2732
3	बिहार	2747	267	3014	108	2906
4	छत्तीसगढ़	1080		1080	2	1078
5	हिमाचल प्रदेश	35		35	7	28
6	जम्मू व कश्मीर	134		134	5	129
7	झारखंड	2525	120	2645	62	2583
8	कर्नाटक	39		39		39
9	मध्य प्रदेश	472		472	50	422
10	महाराष्ट्र		88	88	8	80
11	मणिपुर	276	95	371	5	366
12	मेघालय	912	154	1066	15	1051
13	मिजोरम	58		58	4	54
14	नागालैंड	82		82	4	78
15	ओडिशा	3474	386	3860	579	3281
16	राजस्थान	495		495	68	427
17	त्रिपुरा	26		26		26
18	उत्तर प्रदेश	1529	22	1551	53	1498
19	उत्तराखंड	76	18	94	3	91
20	पश्चिम बंगाल	22		22		22
	कुल	**18452**	**1227**	**19679**	**1305**	**18374**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2582

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी में भ्रष्टाचार

2582. प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड में बड़े स्तर पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी है और इसका कारण उच्चस्तरीय अधिकारियों और ठेकेदारों के मध्य सांठगांठ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : 2015 से एनटीपीसी लिमिटेड में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में विद्युत मंत्रालय और एनटीपीसी में प्राप्त शिकायतों तथा एनटीपीसी के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। शिकायतों का निपटान सीवीसी, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2582 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

(विगत तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता विंग, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा)

	2015 (सं.)	**2016 (सं.)**	**2017 (सं.)**
जांच की गई शिकायतें	03	03	शून्य
लगाई गई बड़ी शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य
लगाई गई लघु शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य

(विगत तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी के बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के संबंध में एनटीपीसी के सतर्कता विंग द्वारा निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा)

	2015 (सं.)	**2016 (सं.)**	**2017 (सं.)**
जांच की गई शिकायतें	97	74	55
लगाई गई बड़ी शास्ति	05	09	शून्य
निंदा/चेतावनी के अलावा लगाई गई लघु शास्ति	05	02	15
निंदा/चेतावनी	17	26	10

उपरोक्त के अतिरिक्त, सीबीआई भी 11 मामलों की जांच कर रही है जिनमें बोर्ड स्तर के अधिकारी से जुड़े 2 मामलों में शामिल हैं।

******

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2595

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

ईईएसएल द्वारा विद्युत वाहनों की आपूर्ति

2595. श्री एस. आर. विजय कुमारः
श्री विद्युत वरण महतोः
कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री टी. राधाकृष्णनः
श्री एस. राजेन्द्रनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों को आज की तिथि तक ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कितने विद्युत वाहनों (ईवी) की आपूर्ति की गई है;

(ख) उक्त मंत्रालयों/सरकारी विभागों को विद्युत वाहनों की आपूर्ति की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ईईएसएल द्वारा 10,000 विद्युत वाहनों के लिए निकाली गई निविदा को रोक दिया गया है और हाल ही में विद्युत वाहनों की दूसरी निविदा को समाप्त कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में विद्युत वाहनों की खरीद के लिए वैश्विक मानदंड/नवीनतम प्रौद्योगिकी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : आज की तिथि तक, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों को 150 इलेक्ट्रिक कारों (ई-कारों) की आपूर्ति की गई है।

(ख) : ईईएसएल सरकारी इकाइयों को किराये/एकमुश्त खरीद के आधार पर ई-कारें उपलब्ध करा रही है। किराया/एक मुश्त खरीद के तहत निबंधन एवं शर्तें **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) : इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। ईईएसएल को केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से लगभग 19,000 ई-कारों की मांग प्राप्त हुई है।

(घ) : अगस्त, 2017 के माह में ईईएसएल द्वारा 10,000 ई-कारों के लिए जारी किए गए टेंडर को रोक कर नहीं रखा गया है/ रद्द नहीं किया गया है। ईईएसएल उसी टेंडर से विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों को ई-कारों की आपूर्ति कर रही है। तथापि, 10,000 और ई-कारों के लिए जारी किए गए दूसरे टेंडर को नए चार्जिंग मानकों को अंतिम रुप दिया जाना लंबित होने के कारण ईईएसएल द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(ङ) : देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग 'भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण' (फेम इण्डिया) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका प्रयोजन आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार और इसके विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायता देना है। इस स्कीम के चार प्रमुख क्षेत्र अर्थात्- प्रौद्योगिकी विकास, मांग-सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2595 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

इलेक्ट्रिक कारों के किराए पर देने और फ्लीट प्रबंधन के लिए निबंधन एव शर्तें नीचे दी गई हैं :-

ईईएसएल के उत्तरदायित्व :

करार के तहत ईईएसएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अथवा अन्यथा पक्षकारों के बीच आपसी सहमति के अनुसार दैनिक आधार पर ग्राहक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बुकिंग शिड्यूल के आधार पर इलेक्ट्रिक कारों (इसे आगे ई-कार अथवा वाहन कहा जाएगा) के लिए किराया और फ्लीट प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराएगा। पथ कर, पार्किंग प्रभारों और चुंगी (एमसीडी) की बिलिंग वास्तविक आंकडों के आधार पर होगी। दरों में लागू दरों पर जीएसटी शामिल नहीं है। ईईएसएल निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराएगी :

1) **ई-कार का प्रावधान :** ईईएसएल सरकारी विभागों/पीएसयू/एजेंसियों को सरकारी उपयोग के लिए व्यापक बीमा एवं रजिस्ट्रेशन के साथ नई ई-कारें उपलब्ध कराएगी। बीमा की लागत ईईएसएल द्वारा वहन की जाएगी।

   (क) यदि ई-कार ईईएसएल के पास रेहन के साथ ग्राहक के नाम पर व्यक्तिगत रुप से पंजीकृत है। ईईएसएल का ई-कारों पर पूर्ण स्वामित्व होगा।
   (ख) कार का ईईएसएल के नाम पर वाणिज्यिक पंजीकरण भी हो सकता है।

2. **चालक सेवा :** ई-कारों को चलाने के लिए वर्दीधारी चालक

3. **कर्मचारियों को लाना और छोड़ना :** कारें समय-समय पर पीएसयू/सरकारी कार्यालय/फर्म द्वारा दिए गए शिड्यूल के अनुसार निर्धारित स्थान से पीएसयू/सरकारी कार्यालय/फर्म के कर्मचारियों को लाने और उन्हें नियमित स्थान पर छोड़ने के लिए होंगी। उनको अनुरोध के अनुसार शहर में परिवहन के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

4. **परियोजना संगठन और प्रबंधन :** ईईएसएल फ्लीट के सुचारू प्रबंधन को समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित करेगी और उसका रखरखाव करेगी।

5. **ग्राहक सेवा :** 12 घंटे प्रति दिन और 6 दिन प्रति सप्ताह सक्रिय एक ग्राहक सेवा नंबर जिसे शिकायतों, सुझावों आदि के मामले में डायल किया जा सकता है।

6. **आपातकालीन सड़क सहायता :** ईईएसएल एक दिन में 12 घंटे (कार्य के घंटों सहित) और सप्ताह में 6 दिन सड़क सहायता उपलब्ध कराएगी। ई-कार फ्लीट में कार टोइंग सेवा, डिच एक्सट्रेक्शन सेवा, जम्प स्टार्टिंग डेड

बैटरीज, लॉक-आउट सेवा (चाबी गुम होने/चाबी टूटने/कार के भीतर इग्निशन चाबी बंद हो जाने के मामलों में) और पंचर टायर को बदलना शामिल होगा।

7. **अनुरक्षण एव मरम्मत :** ईईएसएल ई-कारों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी और निर्धारित अनुरक्षण के कारण किसी सेवा(ओं) के न होने अथवा विलंबित सेवा(ओं) के मामले में सहायता वाहन की व्यवस्था करेगी।

ग्राहक के उत्तरदायित्व:

i. ग्राहक अपने कार्यालय परिसरों में/के आसपास ई-कारों के लिए नि:शुल्क पार्किंग एवं चार्जिंग स्थल उपलब्ध कराएगा।
ii. चार्जिंग की लागत ग्राहक द्वारा वहन की जाएगी। ईईएसएल केवल सेवा प्रदान करने के लिए वाहन की बैटरियों के चार्ज की उपयुक्त स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।
iii. चार्जर की स्थापना के लिए ग्राहक ईईएसएल को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करेगा और उप-स्टेशन से चार्जिंग स्टेशन तक अपेक्षित रेटिंग की इलेक्ट्रिक केबल और अन्य सहायक सामग्री की स्थापना सहित किंतु इतने तक ही सीमित नहीं, चार्जिंग स्टेशन की स्थापना से सबंधित इलेक्ट्रिक एवं प्रारंभिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।
iv. ग्राहक दर-सूची के अनुसार ईईएसएल को आवश्यक भुगतान करेगा।
v. ग्राहक ई-कारों एवं चार्जिंग अवसंरचना की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2600

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

केरल में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का विस्तार

2600. श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल की ओर से राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) हेतु परियोजना कार्यान्वयन अवधि का विस्तार करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : केरल सरकार ने डीडीयूजीजेवाई को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दिसंबर, 2018 तक दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया था जिसकी सहमति दे दी गई है और नोडल एजेंसी द्वारा उन्हें सूचित कर दिया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2626

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं की निगरानी

2626. श्रीमती कमला पाटलेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में विद्युत परियोजनाओं की निगरानी हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) क्या सरकार विद्युत परियोजनाओं की कार्य-प्रणाली में जवाबदेही पर बल देती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : देश में विद्युत परियोजनाओं की निगरानी के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित निगरानी तंत्र बनाया गया हैः

i. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को अभिचिन्हित करने और उनका समाधान करने में सहायता करने के लिए नियमित स्थल दौरों और विकासकर्ताओं, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और अन्य पणधारकों के साथ विचार-विमर्श करके निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की निगरानी करता है।
ii. विद्युत मंत्रालय भी चल रही विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू)/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से समीक्षा करता है।
iii. सीपीएसयू की परियोजनाओं के मामले में, संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में परियोजना कार्यान्वयन प्राचल/लक्ष्य शामिल किए जाते हैं जिनकी सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों के दौरान निगरानी की जाती है।
iv. परियोजना विशिष्ट मुद्दे, प्रगति तंत्र के जरिए समाधान हेतु जब भी आवश्यक होता है, प्रगति (सकारात्मक अधिशासन तथा समय पर कार्यान्वयन) में भी उठाए जाते हैं।
v. प्रधानमंत्री कार्यालय में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) भी लंबित परियोजनाओ से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करता है। परियोजनाओं के विकासकर्ता संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ उनके समाधान के लिए पीएमजी पोर्टल पर परियोजना विशिष्ट मुद्दों को उठा सकते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2642

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

भारी उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण

2642. श्री उदय प्रताप सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में ऊर्जा संरक्षण हेतु भारी उद्योगों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऊर्जा संरक्षण हेतु विभिन्न मानक विनिर्दिष्ट करने के पश्चात् कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऊर्जा के उपयोग की कार्यकुशलता की नज़दीकी से निगरानी करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है अथवा स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने ऊर्जा सघन उद्योग क्षेत्रों अर्थात एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली, उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, पल्प एवं कागज, कपड़ा तथा पैट्रोकैमिकल्स के लिए ऊर्जा खपत के मानक निर्दिष्ट किए हैं। इन क्षेत्रों की ऊर्जा की अधिक खपत करने वाली यूनिटों ने वेस्ट हीट रिकवरी उपकरण, परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव लगाने तथा अकुशल पंपों, मोटरों, कंप्रेशरों आदि को बदलकर ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने सहित ऊर्जा संरक्षण के अनेक उपाय किए हैं।

सरकार की निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत, इन उद्योग क्षेत्रों से अब तक 517 यूनिटों को वर्ष 2016 से 3 वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। विशिष्ट ऊर्जा की खपत में कमी की दृष्टि से ऊर्जा दक्षता मानदण्डों के कार्यान्वयन से इन यूनिटों में संयुक्त ऊर्जा दक्षता में सुधार के परिणामस्वरूप 5.71 मिलियन टन तेल के समतुल्य की कुल ऊर्जा बचत होने की संभावना है।

(ग) और (घ) : पीएटी योजना के अंतर्गत, एक निगरानी एवं सत्यापन तंत्र की व्यवस्था की गई है, जहां तीन वर्ष का चक्र समाप्त होने के बाद एक तृतीय पक्ष एजेंसी- प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (एईए) द्वारा लक्षित ऊर्जा संरक्षण की तुलना में निष्पादन का सत्यापन किया जाता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2661

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य

2661. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः

श्री कमल नाथः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन परिवारों को जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं हैं उन सबको बिजली प्रदान करने के लिए 'प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना' शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून 2018 के अनुसार देशभर में ग्रामीण, जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कितने परिवारों को बिजली का कनेक्शन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राज्यों में ग्रामीण, जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो जिस हद तक सफलता प्राप्त हुई है उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी आवासों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य" की शुरुआत की है। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत आवासों का 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है।

सौभाग्य योजना जो 11 अक्तूबर, 2017 को शुरू की गई थी, के अंतर्गत 30.06.2018 तक ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में 79.34 लाख आवासों का विद्युतीकरण किया गया है।

विगत तीन वर्षों में लक्ष्यों की तुलना में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत दिए गए बीपीएल कनेक्शन, जिनमें जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र के बीपीएल कनेक्शन भी शामिल हैं, नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2015-16	14.00 लाख	14.39 लाख
2016-17	14.00 लाख	22.42 लाख
2017-18	40.00 लाख	50.41 लाख

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2663

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

एसी में डिफॉल्ट सेटिंग

2663. श्री प्रहलाद जोशीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने एयर कंडिशनर विनिर्माताओं को एयर कंडिशनर में डिफॉल्ट सेटिंग निर्धारित करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पहलों के क्या कारण हैं और इनके क्या लाभ हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : गर्मी के दौरान, यह अनुमान लगाया गया है कि आमतौर पर भवनों में एयर कंडीशनर विद्युत की अधिकतम खपत करते हैं, जिसमें वाणिज्यिक अथवा आवासीय भवनों के मामले में 50% से अधिक की खपत होती है।

कमरे का एयर कंडीशनिंग तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लगभग 6% विद्युत की बचत होती है। सामान्यतः, एयर कंडीशनिंग तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट किया जाता है, जबकि आदर्श/ईष्टतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक एयर कंडीशनिंग तापमान में परिवर्तन करने से लगभग 24% विद्युत की बचत होगी। यह उत्सर्जन में कमी करेगा और फलस्वरूप पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, यह धन की बचत करेगा और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।

स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, एयर कंडीशनरों का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के इष्टतम स्तर पर सेट करने की सिफारिश करते हुए स्वैच्छिक दिशा-निर्देश बनाए हैं। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 22 जून, 2018 को एयर कंडीशनर (एसी) के विनिर्माताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एसी की डिफाल्ट तापमान सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने का सुझाव दिया गया था।

उपरोक्त स्वैच्छिक दिशा-निर्देश बड़ी वाणिज्यिक स्थापनाओं जैसे होटलों, हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालय परिसरों और बड़े संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए संस्तुत किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2671

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

देश में जल विद्युत परियोजनाएं

2671. श्री आर.पी. मरुदराजाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रचालित जल परियोजनाओं का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान जल विद्युत क्षमता में राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) योजना-वार राज्य-वार और क्षेत्र-वार जल विद्युत क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में 25 मेगावाट क्षमता से अधिक की जल विद्युत परियोजनाएं, जो प्रचालन में हैं, उनका राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख) : देश में विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल 4816 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि की गई है। इन परियोजनाओं का क्षेत्र-वार/राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में है।

(ग) : 9वीं योजना से जल विद्युत (25 मेगावाट से अधिक) की क्षमता अभिवृद्धि का योजना-वार, राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2671 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में जल विद्युत स्टेशनों की राज्य-वार/क्षेत्र-वार संस्थापित क्षमता

(25 मेगावाट क्षमता से अधिक)

क्रम सं.	यूटिलिटियां/स्टेशन/विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
	क. परंपरागत एचई स्टेशन	
I. उत्तरी क्षेत्र		
	हिमाचल प्रदेश	
	केंद्रीय क्षेत्र	
1	भाखड़ा लेफ्ट, बीबीएमबी	540.00
2	भाखड़ा राइट, बीबीएमबी	785.00
3	देहार, बीबीएमबी	990.00
4	पोंग, बीबीएमबी	396.00
5	बेरा सियुल, एनएचपीसी	180.00
6	चमेरा-I, एनएचपीसी	540.00
7	चमेरा-II, एनएचपीसी	300.00
8	चमेरा-III, एनएचपीसी	231.00
9	पारबती-III, एनएचपीसी	520.00
10	नाथपा झाकड़ी, एसजेवीएनएल	1500.00
11	रामपुर, एसजेवीएनएल	412.02
12	कोलडैम, एनटीपीसी	800.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र-एचपी	7194.02
	राज्य क्षेत्र	
13	बस्सी, एचपीएसईबीएल	66.00
14	गिरी बाटा, एचपीएसईबीएल	60.00
15	लारजी, एचपीएसईबीएल	126.00
16	संजय, एचपीएसईबीएल	120.00
17	इंटीग्रेटेड कशांग, एचपीपीसीएल	195
18	सैंज, एचपीपीसीएल	100
19	शानन, पीएसपीसीएल	110.00
	कुल राज्य क्षेत्र	777.00
	निजी क्षेत्र	
20	मलाना, एमपीसीएल	86.00
21	बुधहिल, जीबीएचपीपीएल	70.00
22	मलाना-II, ईईपीएल	100.00
23	चंजू-I, आईए एनर्जी	36.00
24	अलियन दुहांगन, एडीएचपीएल	192.00
25	बासपा, एचबीपीसीएल	300.00
26	करछम वांगटू, एचबीपीसीएल	1000.00
	कुल निजी क्षेत्र	**1784.00**
	कुल हिमाचल प्रदेश	**9755.02**
	जम्मू व कश्मीर	
	केंद्रीय क्षेत्र	
27	दुलहस्ती, एनएचपीसी	390.00
28	सलल-I व II, एनएचपीसी	690.00

29	उरी-I, एनएचपीसी	480.00
30	उरी-II, एनएचपीसी	240.00
31	सेवा-II, एनएचपीसी	120.00
32	चूटक, एनएचपीसी	44.00
33	निम्मो बाजगो, एनएचपीसी	45.00
34	किशनगंगा, एनएचपीसी	330.00
	राज्य क्षेत्र	
35	बगलीहार-I, जेकेएसपीडीसी	450.00
36	बगलीहार-II, जेकेएसपीडीसी	450.00
37	लोअर झेलम, जेकेएसपीडीसी	105.00
38	अपर सिंध-II, जेकेएसपीडीसी	105.00
	कुल जम्मू व कश्मीर	**3449.00**
	पंजाब	
	केंद्रीय क्षेत्र	
39	गंगुवाल, बीबीएमबी	77.65
40	कोटला, बीबीएमबी	77.65
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**155.30**
	राज्य क्षेत्र	
41	आनंदपुर साहिब-I, पीएसपीसीएल	67.00
42	आनंदपुर साहिब-II, पीएसपीसीएल	67.00
43	मुकेरियां-I, पीएसपीसीएल	45.00
44	मुकेरियां-II, पीएसपीसीएल	45.00
45	मुकेरियां-III, पीएसपीसीएल	58.50
46	मुकेरियां-IV, पीएसपीसीएल	58.50
47	रंजीत सागर, पीएसपीसीएल	600.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**941.00**
	कुल पंजाब	**1096.30**
	राजस्थान	
	राज्य क्षेत्र	
48	जवाहर सागर, आरआरवीयूएनएल	99.00
49	माही बजाज-I, आरआरवीयूएनएल	50.00
50	माही बजाज-II, आरआरवीयूएनएल	90.00
51	आर पी सागर, आरआरवीयूएनएल	172.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**411.00**
	कुल राजस्थान	**411.00**
	उत्तराखंड	
	केंद्रीय क्षेत्र	
52	धौली गंगा, एनएचपीसी	280.00
53	टनकपुर, एनएचपीसी	94.20
54	टिहरी स्टे.-I, टीएचडीसी	1000.00
55	कोटेश्वर, टीएचडीसी	400.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**1774.20**
	राज्य क्षेत्र	
56	चिब्रो (यमुना), यूजेवीएनएल	240.00
57	चिल्ला, यूजेवीएनएल	144.00
58	धकरनी, यूजेवीएनएल	33.75
59	धालीपुर, यूजेवीएनएल	51.00
60	खटीमा, यूजेवीएनएल	41.40
61	खोदरी, यूजेवीएनएल	120.00
62	कुलहल, यूजेवीएनएल	30.00
63	मनेरी भाली-I, यूजेवीएनएल	90.00

64	मनेरी भाली-II, यूजेवीएनएल	304.00
65	रामगंगा, यूजेवीएनएल	198.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**1252.15**
	निजी क्षेत्र	
66	श्रीनगर, एएचपीसी	330.00
67	विष्णु प्रयाग, जेपीपीवीएल	400.00
	कुल निजी क्षेत्र	**730.00**
	कुल उत्तराखंड	**3756.35**
	उत्तर प्रदेश	
	राज्य क्षेत्र	
68	खारा, यूपीजेवीएनएल	72.00
69	माताटीला, यूपीजेवीएनएल	30.60
70	ओबरा, यूपीजेवीएनएल	99.00
71	रिहंद, यूपीजेवीएनएल	300.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**501.60**
	कुल उत्तर प्रदेश	**501.60**
	कुल उत्तरी क्षेत्र	**18969.27**
II. पश्चिमी क्षेत्र		
	मध्य प्रदेश	
	केंद्रीय क्षेत्र	
72	इंदिरा सागर, एनएचडीसी	1000.00
73	ओंकारेश्वर, एनएचडीसी	520.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**1520.00**
	राज्य क्षेत्र	
74	बनसागर टोन्स-I, एमपीपीजीसीएल	315.00
75	बनसागर टोन्स-III, एमपीपीजीसीएल	30.00
76	बनसागर टोन्स-II, एमपीपीजीसीएल	60.00
77	बारजी, एमपीपीजीसीएल	90.00
78	गांधी सागर, एमपीपीजीसीएल	115.00
79	मधीखेरा, एमपीपीजीसीएल	60.00
80	राजघाट, एमपीपीजीसीएल	45.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**715.00**
	कुल मध्य प्रदेश	**2235.00**
	महाराष्ट्र	
	राज्य क्षेत्र	
81	भीरा टेल रेस, महाजैंको	80.00
82	कोयना डीपीएच, महाजैंको	36.00
83	कोयना-I व II, महाजैंको	600.00
84	कोयना-III, महाजैंको	320.00
85	कोयना-IV, महाजैंको	1000.00
86	तिल्लारी, महाजैंको	60.00
87	वैतर्णा, महाजैंको	60.00
88	पैंच, एमपीपीजीसीएल	160.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**2316.00**
	निजी क्षेत्र	
89	भंडारधारा स्टे.-II, डीएलएचपी	34.00
90	भीरा, टाटा पावर कंपनी	150.00
91	भिवपुरी, टाटा पावर कंपनी	75.00
92	खोपोली, टाटा पावर कंपनी	72.00
	कुल निजी क्षेत्र	**331.00**
	कुल महाराष्ट्र	**2647.00**

	छत्तीसगढ़	
	राज्य क्षेत्र	
93	हसदियोबांगो, सीएसपीजीसीएल	120.00
	कुल छत्तीसगढ़	**120.00**
	गुजरात	
	राज्य क्षेत्र	
94	उकई, जीएसईसीएल	300.00
95	सरदार सरोवर सीएचपीएच, एसएसएनएनएल	250.00
	कुल गुजरात	**550.00**
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	**5552.00**
III. दक्षिणी क्षेत्र		
	आंध्र प्रदेश	
	राज्य क्षेत्र	
96	लोअर सिलेरू, एपजैंको	460.00
97	एन जे सागर आरबीसी एंड एक्सटें., एपजैंको	90.00
98	श्रीशैलम, एपजैंको	770.00
99	अपर सिलेरू-I व II, एपजैंको	240.00
100	एन जे सागर टीपीडी, एपजैंको	50.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**1610.00**
	कुल आंध्र प्रदेश	**1610.00**
	तेलंगाना	
	राज्य क्षेत्र	
101	प्रियदर्शिनी जुराला, टीएसजैंको	234.00
102	पोचमपड, टीएसजैंको	36.00
103	एन जे सागर, टीएसजैंको	110.00
104	एन जे सागर एलबीसी, टीएसजैंको	60.00
105	लोअर जुराला, टीएसजैंको	240.00
106	पुलीचिंताला, टीएसजैंको	90.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**770.00**
	कुल तेलंगाना	**770.00**
	कर्नाटक	
	राज्य क्षेत्र	
107	अलमत्ती, केपीसीएल	290.00
108	गेरूसोप्पा (शारावथी टेल रेस), केपीसीएल	240.00
109	घाटा प्रभा, केपीसीएल	32.00
110	महात्मा गांधी (जोग), केपीसीएल	139.20
111	कद्रा, केपीसीएल	150.00
112	कालीनदी (नागझारी), केपीसीएल	855.00
113	कालीनदी (सुपा), केपीसीएल	100.00
114	कोडासली, केपीसीएल	120.00
115	लिंगामक्की, केपीसीएल	55.00
116	मुनीराबाद, केपीसीएल	28.00
117	शारावथी, केपीसीएल	1035.00
118	शिवसमुद्रम, केपीसीएल	42.00
119	वराही, केपीसीएल	460.00
120	भद्रा, केपीसीएल	26.00
121	टी बी डैम, एपजैंको	36.00
122	हम्पी, एपजैंको	36.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**3644.20**
	कुल कर्नाटक	**3644.20**
	केरल	

	राज्य क्षेत्र	
123	इदमलायर, केएसईबी	75.00
124	इदुक्की, केएसईबी	780.00
125	कक्कड़, केएसईबी	50.00
126	कुट्टीयाडी, केएसईबी	75.00
127	कुट्टीयाडी एक्सटें., केएसईबी	50.00
128	कुट्टीयाडी एडिशिनल एक्सटें., केएसईबी	100.00
129	लोअर पेरियार, केएसईबी	180.00
130	नारीमंगलम, केएसईबी	45.00
131	पल्लीवसल, केएसईबी	37.50
132	पन्नियर, केएसईबी	30.00
133	पोरिंगलकुट्टू, केएसईबी	32.00
134	साबरीगिरी, केएसईबी	300.00
135	सेंगुलम, केएसईबी	48.00
136	शोलायर, केएसईबी	54.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**1856.50**
	कुल केरल	**1856.50**
	तमिलनाडु	
	राज्य क्षेत्र	
137	अलियर, टैंजेडको	60.00
138	भवानी कट्टालई बैराज-I, टैंजेडको	30.00
139	भवानी कट्टालई बैराज-II, टैंजेडको	30.00
140	भवानी कट्टालई बैराज-III, टैंजेडको	30.00
141	कोडायर-I, टैंजेडको	60.00
142	कोडायर-I, टैंजेडको	40.00
143	कुंडहा-I, टैंजेडको	60.00
144	कुंडहा-II, टैंजेडको	175.00
145	कुंडहा-III, टैंजेडको	180.00
146	कुंडहा-IV, टैंजेडको	100.00
147	कुंडहा-V, टैंजेडको	40.00
148	लोअर मेट्टूर-I, टैंजेडको	30.00
149	लोअर मेट्टूर-II, टैंजेडको	30.00
150	लोअर मेट्टूर-III, टैंजेडको	30.00
151	लोअर मेट्टूर-IV टैंजेडको	30.00
152	मेट्टूर डैम, टैंजेडको	50.00
153	मेट्टूर टनल, टैंजेडको	200.00
154	मोयार, टैंजेडको	36.00
155	पपानासम, टैंजेडको	32.00
156	पर्सन्स वैली, टैंजेडको	30.00
157	पेरियार, टैंजेडको	161.00
158	पाइकारा, टैंजेडको	59.20
159	पाइकारा अल्टीमेट, टैंजेडको	150.00
160	साराकरपथी, टैंजेडको	30.00
161	शोलायर-I, टैंजेडको	70.00
162	सुरुलियर, टैंजेडको	35.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**1778.20**
	कुल तमिलनाडु	**1778.20**
	कुल दक्षिणी क्षेत्र	**9658.90**
IV. पूर्वी क्षेत्र		
	पश्चिम बंगाल	
	केंद्रीय क्षेत्र	

163	मैथॉन, डीवीसी	63.20
164	तीस्ता लो डैम-III, एनएचपीसी	132.00
165	तीस्ता लो डैम-IV, एनएचपीसी	160.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**355.20**
	राज्य क्षेत्र	
166	जलढाका, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	36.00
167	रम्माम, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	50.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**86.00**
	कुल पश्चिम बंगाल	**441.20**
	सिक्किम	
	केंद्रीय क्षेत्र	
168	रंगित-III, एनएचपीसी	60.00
169	तीस्ता-V, एनएचपीसी	510.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**570.00**
	राज्य क्षेत्र	
170	तीस्ता-III, तीस्ता ऊर्जा लि.	1200.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**1200.00**
	निजी क्षेत्र	
171	चुजाचैन, जीआईपीएल (गाटी इंफ्रा प्रा. लि.)	110.00
172	दिक्चू स्नेह काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	96.00
173	ताशिडिंग शीघा एनर्जी प्रा. लि. (एसईपीएल)	97.00
174	जोरथांग लूप, डैंस एनर्जी प्रा. लि.	96.00
	कुल निजी क्षेत्र	**399.00**
	कुल सिक्किम	**2169.00**
	झारखंड	
	केंद्रीय क्षेत्र	
175	पंचेट, डीवीसी	40.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**40.00**
	राज्य क्षेत्र	
176	सुबर्णरेखा-I, जेयूयूएनएल	65.00
177	सुबर्णरेखा-II, जेयूयूएनएल	65.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**130.00**
	कुल झारखंड	**170.00**
	ओडिशा	
	राज्य क्षेत्र	
178	बालीमेला, ओएचपीसी	510.00
179	हीराकुंड (बुरला), ओएचपीसी	275.50
180	हीराकुंड (चिपलिमा), ओएचपीसी	72.00
181	रेंगाली, ओएचपीसी	250.00
182	अपर इंद्रावती, ओएचपीसी	600.00
183	अपर कोलाब, ओएचपीसी	320.00
184	मचकुंद, एपजैंको	114.75
	कुल राज्य क्षेत्र	**2142.25**
	कुल ओडिशा	**2142.25**
	कुल पूर्वी क्षेत्र	**4922.45**
V. पूर्वोत्तर क्षेत्र		
	अरुणाचल प्रदेश	
	केंद्रीय क्षेत्र	
185	रंगानदी, नीपको	405.00
186	पारे, नीपको	110.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**515.00**

	कुल अरुणाचल प्रदेश	**515.00**
	असम	
	केंद्रीय क्षेत्र	
187	खोपोली, नीपको	200.00
188	खोंडोंग, नीपको	50.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**250.00**
	राज्य क्षेत्र	
189	कारबी लंगपी, एपीजीसीएल	100.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**100.00**
	कुल असम	**350.00**
	मिजोरम	
	केंद्रीय क्षेत्र	
190	तुरियल, नीपको	60.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**60.00**
	कुल मिजोरम	**60.00**
	नागालैंड	
	केंद्रीय क्षेत्र	
191	दोयांग, नीपको	75.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**75.00**
	कुल नागालैंड	**75.00**
	मणिपुर	
	केंद्रीय क्षेत्र	
192	लोकटक, एनएचपीसी	105.00
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	**105.00**
	कुल मणिपुर	**105.000**
	मेघालय	
	राज्य क्षेत्र	
193	कुरदमकुलई, एमईपीजीसीएल	60.00
194	उमियम स्टे.-I, एमईपीजीसीएल	36.00
195	न्यू उमतरू, एमईपीजीसीएल	40.00
196	उमियम स्टे.-IV, एमईपीजीसीएल	60.00
197	मिंटडू स्टे.-I, एमईपीजीसीएल	126.00
	कुल राज्य क्षेत्र	**322.00**
	कुल मेघालय	**322.00**
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1427.00**
	कुल परंपरागत	**40529.62**
ख. पम्प्ड स्टोरेज एचई स्टेशन (पीएसएस)		
I. पश्चिमी क्षेत्र		
	गुजरात	
	राज्य क्षेत्र	
1	कदना, जीएसईसीएल	240.00
2	सरदार सरोवर सीबीपीएच, एसएसएनएनएल	1200.00
	कुल गुजरात	**1440.00**
	महाराष्ट्र	
	राज्य क्षेत्र	
3	घाटगढ़, महाजैंको	250.00
	निजी क्षेत्र	
4	भीरा, टाटा पावर कंपनी	150.00
	कुल महाराष्ट्र	**400.00**
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	**1840.00**
II. दक्षिणी क्षेत्र		

	तेलंगाना	
	राज्य क्षेत्र	
5	एन जे सागर, टीएसजैंको	705.60
6	श्रीशैलम एलबीपीजी, टीएसजैंको	900.00
	कुल तेलंगाना	**1605.60**
	तमिलनाडु	
	राज्य क्षेत्र	
7	कदमपरई, टैनजेडको	400.00
	कुल तमिलनाडु	**400.00**
	कुल दक्षिणी क्षेत्र	**2005.60**
III. पूर्वी क्षेत्र		
	झारखंड	
	केंद्रीय क्षेत्र	
8	पंचेट, डीवीसी	40.00
	कुल झारखंड	**40.00**
	पश्चिम बंगाल	
	राज्य क्षेत्र	
9	पुरुलिया, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	900.00
	कुल पश्चिम बंगाल	**900.00**
	कुल पूर्वी क्षेत्र	**940.00**
	कुल - पम्प्ड स्टोरेज स्टेशन	**4785.60**
सकल योग (परंपरागत + पम्प्ड स्टोरेज स्टेशन)		**45315.22**

टिप्पणी: एचई स्टेशनों की कुल संख्या 204 है जिसमें से पीएसएस क्षमता के साथ-साथ परंपरागत निम्नलिखित दो जल विद्युत स्टेशनः

क्रम सं.	**स्टेशन/राज्य/क्षेत्र**	**परंपरागत**	**पीएसएस**
1	एन जे सागर/तेलंगाना/दक्षिणी	1X110=110	7X100.8=705.60
2	पंचेट/झारखंड/पूर्वी	1X40=40	1X40=40

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2671 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष (2014-15 से 2018-19) के दौरान जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि

(30.06.2018 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	क्षेत्र-वार क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट)			कुल क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट)
	केंद्रीय	राज्य	निजी	
2014-15				
हिमाचल प्रदेश	736	00	00	**736**
2015-16				
हिमाचल प्रदेश	400	00	00	400
पश्चिम बंगाल	80	00	00	80
जम्मू व कश्मीर	00	450	00	450
तेलंगाना	00	160	00	160
उत्तराखंड	00	00	330	330
सिक्किम	00	00	96	96
कुल	**480**	**610**	**426**	**1516**
2016-17				
पश्चिम बंगाल	80	00	00	80
हिमाचल प्रदेश	00	195	24	219
तेलंगाना	00	110	00	110
आंध्र प्रदेश	00	50	00	50
सिक्किम	00	1200	00	1200
कुल	**80**	**1555**	**24**	**1659**
2017-18				
हिमाचल प्रदेश	00	100	12	112
मेघालय	00	40	00	40
मिजोरम	60	00	00	60
जम्मू व कश्मीर	330	00	00	330
तेलंगाना	00	60	00	60
सिक्किम	00	00	193	193
कुल	**390**	**200**	**205**	**795**
2018-19 (30.06.2018 की स्थिति के अनुसार)				
अरुणाचल प्रदेश	110	00	00	**110**
			सकल योग	**4816**

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2671 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

9वीं परियोजना से क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट) (25 मेगावाट से अधिक)

राज्य	क्षेत्र	9वीं योजना	10वीं योजना	11वीं योजना	12वीं योजना
असम	केंद्रीय क्षेत्र	0	25	0	0
	राज्य क्षेत्र	0	100	0	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	450	450	234	50
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	405	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	0	0	0	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
गुजरात	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	60	1450	0	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	0	1800	0	1963
	राज्य क्षेत्र	0	126	0	195
	निजी क्षेत्र	86	300	1292	94
जम्मू व कश्मीर	केंद्रीय क्षेत्र	0	390	120	779
	राज्य क्षेत्र	105	0	450	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
कर्नाटक	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	510	125	230	0
	निजी क्षेत्र	0	165	0	0
केरल	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	220	0	100	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र	0	1000	520	0
	राज्य क्षेत्र	100	95	0	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
महाराष्ट्र	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	00	0
	राज्य क्षेत्र	1000	0	250	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
मेघालय	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	0	0	84	42
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
नागालैंड	केंद्रीय क्षेत्र	75	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	0	0	0	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
ओडिशा	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	600	0	150	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
पंजाब	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	600	0	0	0
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
सिक्किम	केंद्रीय क्षेत्र	60	0	510	0
	राज्य क्षेत्र	0	0	0	1200
	निजी क्षेत्र	0	0	0	195
तमिलनाडु	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	30	180	0	60
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
तेलंगाना	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	0
	राज्य क्षेत्र	0	0	0	270
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
उत्तराखंड	केंद्रीय क्षेत्र	0	1280	400	0
	राज्य क्षेत्र	0	0	304	0
	निजी क्षेत्र	0	400	0	330
पश्चिम बंगाल	केंद्रीय क्षेत्र	0	0	0	292
	राज्य क्षेत्र	0	0	900	9
	निजी क्षेत्र	0	0	0	0
कुल		**4301**	**7886**	**5544**	**5479**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2676

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

निजी क्षेत्र में विद्युत संयंत्र

2676. श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश मे निजी क्षेत्र में संचालित/निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त निजी विद्युत कंपनियों पर उनके कर्मचारियों/कामगारों को लाभ/सुविधएं प्रदान करने के लिहाज से कोई नियंत्रण रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : वर्तमान में, देश में 89,994.3 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के 138 निजी विद्युत संयंत्र प्रचालनरत हैं; और 27,861 मेगावाट क्षमता की 44 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। देश में निजी क्षेत्र में मौजूदा विद्युत संयंत्रों और निर्माणाधीन संयंत्रों की राज्य-वार सूची क्रमशः **अनुबंध-I एवं II** में दी गई है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार निजी विद्युत संयंत्रों सहित कारखानों, स्थापनाओं, संस्थानों में कार्यरत कामगारों को श्रम कानूनों के अंतर्गत विभिन्न लाभ देती है। कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों को शासित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों की सूची नीचे दी गई है :

i. कर्मचारी अधिनियम, 1923
ii. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
iii. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
iv. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआईसी अधिनियम), 1948
v. कारखाना अधिनियम, 1948
vi. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
vii. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
viii. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
ix. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन अधिनियम), 1970
x. उपादान संदाय अधिनियम, 1972

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2676 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

30.06.2018 की स्थिति के अनुसार देश में निजी क्षेत्र में मौजूदा विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार सूची

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	**आंध्र प्रदेश**	एलवीएस पावर डीजी	36.80
2		गौतमी सीसीपीपी	464
3		कोंडापल्ली स्टे.-3 सीसीपीपी	742
4		गोदावरी सीसीपीपी	208
5		जीआरईएल सीसीपीपी (राजहमुंदरी)	768
6		जेगुरूपडु सीसीपीपी फेज-II	220
7		कोनासीमा सीसीपीपी	445
8		कोंडापल्ली सीसीपीपी	350
9		कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366
10		पेड्डापुरम सीसीपीपी	220
11		जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा	220
12		वेमागिरी सीसीपीपी	370
13		विजेश्वरन सीसीपीपी	272
14		पैनमपुरम टीपीपी	1320
15		सिम्हापुरी टीपीएस	600
16		थामिनापट्टनम टीपीएस	300
17		विजाग टीपीपी	1040
18		एसजीपीएल टीपीपी	1320
19	**असम**	अदमटिल्ला सीसीपीपी	9
20		बसखंडी सीसीपीपी	15.50
21	**छत्तीसगढ़**	बंदाखार टीपीपी	300
22		चकाबुरा टीपीपी	30
23		कसाईपल्ली टीपीपी	270
24		कटघोरा टीपीपी	35
25		एसवीपीएल टीपीपी	63
26		तमनार टीपीपी	2400
27		उचपिंडा टीपीपी	1080
28		अकलतारा टीपीएस	1800
29		अवंथा भंडार	600
30		बारादरहा टीपीएस	1200
31		पथाडी टीपीपी	600
32		ओपी जिंदल टीपीएस	1000
33		रायखेड़ा टीपीपी	1370

34		बाल्को टीपीएस	600
35		रतीजा टीपीएस	100
36		सलोरा टीपीपी	135
37		स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25
38		नवापारा टीपीपी	600
39		बिंजकोट टीपीपी	600
40	**दिल्ली**	रिठाला सीसीपीपी	108
41	**गोवा**	गोवा सीसीपीपी	48
42	**गुजरात**	बड़ौदा सीसीपीपी	160
43		डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200
44		एस्सार सीसीपीपी	515
45		पेगुथान सीसीपीपी	655
46		सुजैन सीसीपीपी	1147.50
47		यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.50
48		मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000
49		मुंद्रा टीपीएस	4620
50		सलाया टीपीपी	1200
51		सूरत लिग्ना. टीपीएस	500
52		साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	362
53		साबरमती (सी स्टेशन)	60
54	**हरियाणा**	महात्मा गांधी टीपीएस	1320
55	**हिमाचल प्रदेश**	अलियन दुहांगन एचपीएस	192
56		बासपा एचपीएस	300
57		बुधहिल एचपीएस	70
58		करछम वांगटू एचपीएस	1000
59		मलाना एचपीएस	86
60		मलाना-II एचपीएस	100
61		चंजू-I एचपीएस	36
62	**झारखंड**	जोजोबेरा टीपीएस	240
63		महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540
64		मैथन आरबी टीपीपी	1050
65	**कर्नाटक**	बेल्लारी डीजी	25.20
66		उडुपी टीपीपी	1200
67		टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	260
68		टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	600
69	**केरल**	कोचीन सीसीपीपी	174
70	**मध्य प्रदेश**	अनूपपुर टीपीपी	1200

71		बीना टीपीएस	500
72		महान टीपीपी	600
73		निगरी टीपीपी	1320
74		सिओनी टीपीपी	600
75		निवारी टीपीपी	45
76		सासन यूएमटीपीपी	3960
77	**महाराष्ट्र**	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	180
78		मनगांव सीसीपीपी	388
79		भंडारधारा एचपीएस स्टे.-II	34
80		भीरा एचपीएस	150
81		भीरा पीएसएस एचपीएस	150
82		भिवपुरी एचपीएस	75
83		खोपोली एचपीएस	72
84		धारीवाल टीपीपी	600
85		वर्धा वरौरा टीपीपी	540
86		अमरावती टीपीएस	1350
87		बेला टीपीएस	270
88		बुटीबोरी टीपीपी	600
89		दहानु टीपीएस	500
90		जीईपीएल टीपीपी फेज-I	120
91		जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1200
92		मिहान टीपीएस	246
93		नासिक (पी) टीपीएस	1350
94		तिरौरा टीपीएस	3300
95		ट्रॉम्बे टीपीएस	1250
96		जीएमआर वरौरा टीपीएस	600
97		शीरपुर टीपीपी	150
98	**ओडिशा**	देरांग टीपीपी	1200
99		कमलंगा टीपीएस	1050
100		स्टरलाइट टीपीपी	1200
101		उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350
102	**पंजाब**	तलवंडी साबो टीपीपी	1980
103		गोइंदवाल साहिब	540
104		राजपुर टीपीपी	1400
105	**राजस्थान**	जलीपा कपूर्दी टीपीपी	1080
106		कवाई टीपीएस	1320
107	**सिक्किम**	चुजाचेन एचपीएस	110
108		जोरथांग लूप	96
109		दिक्चू एचपीएस	96
110		ताशिडिंग एचपीएस	97
111	**तमिलनाडु**	समयानल्लूर डीजी	106

112		बी. ब्रिज डी.जी.	200
113		समलपट्टी डीजी	105.70
114		करूपपुर सीसीपीपी	119.80
115		पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.50
116		वैलंटरवी सीसीपीपी	52.80
117		आईटीपीसीएल टीपीपी	1200
118		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300
119		मुथियारा टीपीपी	1200
120		नेवैली टीपीएस (जेड)	250
121	**उत्तराखंड**	गामा सीसीपीपी	225
122		काशीपुर सीसीपीपी	225
123		श्रीनगर एचपीएस	330
124		विष्णु प्रयाग एचपीएस	400
125	**उत्तर प्रदेश**	अनपरा सी टीपीएस	1200
126		ललितपुर टीपीएस	1980
127		बरखेड़ा टीपीएस	90
128		खांबरखेड़ा टीपीएस	90
129		कुंदरकी टीपीएस	90
130		मकसूदपुर टीपीएस	90
131		रोसा टीपीपी फेज-I	1200
132		उतरौला टीपीएस	90
133		प्रयागराज टीपीपी	1980
134	**पश्चिम बंगाल**	हल्दिया टीपीपी	600
135		बज बज टीपीएस	750
136		साउदर्न रिप. टीपीएस	135
137		टीटागढ़ टीपीएस	240
138		हिरनमये टीपीपी	300

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2676 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में निजी क्षेत्र में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	*आंध्र प्रदेश*	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660
			यू-2	660
2	*आंध्र प्रदेश*	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350
			यू-4	350
3	*अरुणाचल प्रदेश*	गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	2x72	144
4	बिहार	सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा. टीपीपी)	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
			यू-4	660
5	*छत्तीसगढ़*	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-4	600
			यू-5	600
			यू-6	600
6	*छत्तीसगढ़*	बिंजकोट टीपीपी	यू-3	300
			यू-4	300
7	*छत्तीसगढ़*	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660
			यू-4	660
8	*छत्तीसगढ़*	सिंग्हीतराई टीपीपी	यू-1	600
			यू-2	600
9	*छत्तीसगढ़*	उंचपिंडा टीपीपी	यू-4	360
10	*छत्तीसगढ़*	सलोरा टीपीपी	यू-2	135
11	*छत्तीसगढ़*	देवरी (विसा) टीपीपी	यू-1	600
12	*हिमाचल प्रदेश*	बजोली होली (जीएमआर)	3x60	180
13	*हिमाचल प्रदेश*	सोरांग (एचएसपीसीएल)	2x50	100
14	*हिमाचल प्रदेश*	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	2x22	44
15	*हिमाचल प्रदेश*	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	100	100
16	*झारखण्ड*	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270
			यू-2	270
17	*झारखण्ड*	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270
			यू-4	270
18	*झारखण्ड*	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600
			यू-2	600
19	*झारखण्ड*	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600
20	*जम्मू व कश्मीर*	रत्ले (आरएचईपीपीएल)	4x205 + 1x30	850
21	*महाराष्ट्र*	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270

			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
22	*महाराष्ट्र*	लैंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
23	*महाराष्ट्र*	नासिक टीपीपी फेज -II	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
24	*महाराष्ट्र*	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300
			यू-2	300
25	*महाराष्ट्र*	शीरपुर टीपीपी	यू-2	150
26	*मध्य प्रदेश*	महान टीपीपी	यू-2	600
27	*मध्य प्रदेश*	गोरजी टीपीपी	यू-1	660
28	*मध्य प्रदेश*	निवारी टीपीपी	यू-2	45
29	*मध्य प्रदेश*	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	10x40	400
30	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी	यू-2	350
31	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350
			यू-2	350
			यू-3	350
32	ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660
			यू-2	660
33	ओडिशा	मलीब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525
			यू-2	525
34	*सिक्किम*	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	3x17	51
35	*सिक्किम*	रंगित-IV (जल पावर)	3x40	120
36	*सिक्किम*	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	2x33	66
37	*सिक्किम*	रोंगनीचू (मध्य भारत)	2x48	96
38	*सिक्किम*	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	4x125	500
39	*सिक्किम*	पनन (हिमगिरी)	4x75	300
40	*तमिलनाडु*	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)	यू-1	660
41	*तमिलनाडु*	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525
42	*उत्तराखंड*	फाटा ब्यूंग (लैंको)	2x38	76.00
43	*उत्तराखंड*	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	3x33	99.00
44	*पश्चिम बंगाल*	हिरनमये एनर्जी लि.	यू-3	150

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2686

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

बिजली के लिए राजसहायता

2686. प्रो. के. वी. थॉमसः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली हेतु राजसहायता उनके बैंक खातों के माध्यम से देने का अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस निर्देश से विशेष रूप से केरल में, कितने घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण करना और सब्सिडी, यदि कोई हो, प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत यूटिलिटी (यूटिलिटियों) के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तथा सस्ती विद्युत प्रदान करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

राज्य सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के साथ-साथ प्रशुल्क नीति के खण्ड 8.3 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को उस सीमा तक सब्सिडी दे सकती है जिसे वह उचित समझे। प्रशुल्क नीति का संशोधन प्रारूप दिनांक 30 मई, 2018 को पणधारकों की टिप्पणियों हेतु पणधारकों को परिचालित किया गया था जिसमें यह विनिर्दिष्ट है कि यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को सब्सिडी देने का निर्णय लेती है तो ऐसे उपभोक्ताओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से राहत दी जाएगी। सब्सिडी अनुदान का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या संबंधित वर्ष के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2705

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

ओडिशा में यूएमपीपी परियोजनाएं

2705. श्रीमती रीता तराई:
श्री बलभद्र माझीः
श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंहः
श्री लड्डू किशोर स्वाइँ:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को जानकारी है कि बेडाबहल की यू.एम.पी.पी. परियोजना के लिए ओडिशा राज्य द्वारा, आज की तारीख तक, लगभग 350 करोड़ रुपये का योगदान किया गया है और राज्य सरकार ने मानक बोली लगाने वाले दस्तावेजों (एस.वी.डी.) संबंधी अपने विचार/फीडबैक प्रस्तुत किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या प्रगति हुई है;

(ख) मंत्रालय द्वारा बोली संबंधी दस्तावेजों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और बेडाबहल की नीलामी प्रक्रिया को बिना और देरी किए कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या भूमि का वास्तविक स्वामित्व प्राप्त करने के लिए इस संबंध में विलंब होने से कठिनाइयां होंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : आज तक की तिथि के अनुसार, ओडिशा सरकार ने प्रतिबद्धता अग्रिम, भूमि की लागत, भूमि को सुरक्षित रखने के लिए प्रभार और विविध व्ययों के लिए लगभग 351 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) पर अपने विचार/फीडबैक प्रस्तुत किए हैं।

(ख) : विद्युत मंत्रालय ने यूएमपीपी के लिए दिशा-निर्देशों एवं मानक बोली दस्तावेजों को संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। ओडिशा सरकार द्वारा मानक बोली दस्तावेजों पर विचार/फीडबैक, जिन्हें उपयुक्त पाया गया, विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए मानक बोली दस्तावेजों के प्रारूप में शामिल किया गया है। विशेषज्ञ समिति ने दिशा-निर्देश एवं मानक बोली दस्तावेजों के प्रारूप को सरकार को प्रस्तुत किया है। घरेलू कोयला, आयातित कोयला और लिंकेज कोयला पर आधारित यूएमपीपी के लिए संयुक्त दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ओडिशा यूएमपीपी के लिए नीलामी प्रक्रिया को दिशा-निर्देशों एवं मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

(ग) : परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण ओडिशा एकीकृत विद्युत लिमिटेड, इस परियोजना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) की ओर से ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) द्वारा किया जा रहा है। आईडीसीओ पट्टे पर हस्ताक्षर करते समय भूमि का ऋणभार मुक्त कब्जा उपलब्ध कराएगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2710

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों को हानि

2710. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या टैरिफ नीति में विद्युत वितरण कंपनियों को होने वाले नुकसान की गणना हेतु कोई स्वीकार्य सीमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बिल बनाने, मीटर रीडिंग और संग्रहण में मानवीय हस्तक्षेप को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : डिस्कॉमों की हानियां समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां हैं जिसमें वितरण कंपनियों की पारेषण और वितरण (टीएंडडी) हानियां तथा बिलिंग और संग्रहण दक्षता शामिल है। टैरिफ नीति, 2016 के पैरा 8.2.1 के अनुसार एटीएंडसी हानियों में कमी करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। टैरिफ नीति का संशोधन प्रारूप 30.05.2018 को टिप्पणियों हेतु पणधारकों को परिचालित किया गया है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग 31.03.2019 के पश्चात प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 15 प्रतिशत से अधिक की एटीएंडसी हानियों पर विचार नहीं करेंगे।

(ग) : केंद्र सरकार ने विद्युत की आपूर्ति के संबंध में बिलिंग, मीटरिंग एवं संग्रहण में मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईडीपीएस) के अंतर्गत, डिस्कॉमों को आईटी प्रणालियों के विकास अथवा सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है जो डिस्कॉमों को बिलिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग के द्वारा स्वतः बिल तैयार करने में समर्थ बनाती है। आईपीडीएस के अंतर्गत, 12 राज्यों के लिए 834.41 करोड़ रुपए परिव्यय से स्मार्ट मीटरों की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। डिस्कॉम ऑनलाइन भुगतान, ई-पेमेंट वॉलेट के प्रयोग, पेमेंट ऐप्लीकेशन आदि के प्रयोग के तरीकों से अपने बकाया का भुगतान करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पेशकश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अगले तीन वर्षों के भीतर स्मार्ट/प्रीपेड मीटर लगाने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु राज्यों से अनुरोध किया गया है। स्मार्ट मीटर बिलिंग और मीटरिंग में मानव त्रुटियों को दूर करने में सहायता करेंगे। प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों के प्रयोग से मीटर रीडिंग, बिलिंग, संग्रहण तथा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में कनेक्शन काटने से संबंधित सभी समस्याएं भी दूर होंगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2720

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

'सौभाग्य' योजना के लाभ

2720. श्रीमती किरण खेरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'सौभाग्य' योजना में किस प्रकार से विद्युत बिल भुगतान प्रणाली के पोस्ट पेड से प्री पेड में सुगम अंतरण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है और प्री पेड बिलों से उपभोक्ताओं को कितना लाभ होने की संभावना है;

(ख) क्या यह योजना लोड शेडिंग की समस्या का समाधन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विद्युत वितरण कंपनियों को हुई वित्तीय हानि इस योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य का लक्ष्य मार्च, 2019 तक देश में सभी गैर-विद्युतीकृत आवासों को विद्युतीकृत करना है। अनियमित मीटर रीडिंग, बिल समय पर नहीं भेजे जा रहे हैं अथवा एक बार दो से तीन माह के बिल भेजे जा रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, गलत बिलिंग आदि की शिकायतें हैं। चूंकि सौभाग्य से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से इन समस्याओं के बढ़ने की संभावना है। इसलिए, राज्यों को प्रौद्योगिकी की सहायता लेने और आगामी तीन वर्षों में प्रीपेड प्रणाली में शिफ्ट करने की सलाह दी गई है। यह मीटर रीडिंग तथा बिल भेजने एवं संग्रहण की समस्याओं को समाप्त करेगा। यह गरीबों के पक्ष में भी होगा क्योंकि उपभोक्ता उनके पास उपलब्ध धन के अनुसार रीचार्ज करा सकेंगे। यह डिस्कॉमों की भी सहायता करेगा क्योंकि उनका संग्रहण बढ़ेगा और हानियां कम होंगी। अधिक संसाधनों से डिस्कॉम विद्युत की निरंतर और स्थिर आपूर्ति करने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2752

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी के गैर-जीवाश्म आधारित संसाधन

2752. डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनटीपीसी का अपनी कारपोरेट योजना 2032 के 130 गीगावॉट लक्ष्य में से 30 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से प्राप्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनटीपीसी ने अपने परंपरागत कोयला से चलने वाले बॉयलर में बायोमास के साथ मिश्रित कर चलाने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और अपने एक विद्युत परियोजना के बॉयलर में 10 प्रतिशत तक बायोमास पेलेट्स से चलाने पर कार्य कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई कारपोरेट योजना 2032 के अनुसार यह 2032 तक विविध ईंधन मिश्र के साथ 130 गीगावाट की कंपनी बनने वाली है जिसका 30 प्रतिशत गैर-जीवाश्म आधारित संसाधनों से स्रोत किया जाएगा। 2032 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

- सौर - 30 गीगावाट
- जल विद्युत - 5 गीगावाट
- नाभिकीय - 2 गीगावाट
- अन्य नवीकरणीय ऊर्जा - 2 गीगावाट

(ग) : एनटीपीसी ने अपने एनटीपीसी दादरी संयंत्र में कोयले के साथ 10 प्रतिशत तक बायोमास पेलेट्स का प्रज्वलन परीक्षण किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2756

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

एक विद्युतीकृत ग्राम की परिभाषा

2756. श्री जनक रामः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एक विद्युतीकृत ग्राम की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार लगभग 18000 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एक विद्युतीकृत ग्राम हेतु एक गांव में कितने प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन, कितने घंटे की आपूर्ति और बिजली का उपभोग पृथक रूप से आवश्यक है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक विद्युतीकृत ग्राम की परिभाषा में ऐसे मानदंडों को निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार किसी गाँव को विद्युतीकृत घोषित किया जाता है, यदि:

i. आधारभूत अवसंरचना जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें आबादी वाले स्थानों के साथ-साथ दलित बस्ती/वासस्थल, जहाँ वे विद्यमान हैं, में उपलब्ध करा दी गई हो;
ii. सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूलों, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि में विद्युत उपलब्ध करा दी गई हो तथा
iii. विद्युतीकृत घरों की संख्या गाँव में घरों की कुल संख्या की कम से कम 10% हो।

(ख) : सभी गैर-विद्युतीकृत आवासित जनगणना गाँवों को 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) : भारत सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक देश में सभी गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन 01 अप्रैल, 2019 से 24X7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गए हैं। इन पहलों को ध्यान में रखते हुए गाँव के विद्युतीकरण की परिभाषा अब प्रासंगिक नहीं रही है।

****